बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 145840

ग्रा.वि. 8 (ख) BRDS 03/2011

पटना, दिनांक :- 16/04/2013

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह,

आयुक्त, मनरेगा ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक ।

विषय :- **मनरेगा कर्मियों हेतु Group Accident Insurance अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु वांछित प्रक्रिया संसूचित करने के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 117911 दिनांक 21.08.2012

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में दिनांक 10.01.2013 को आहूत बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी के सामान्य परिषद में लिए गए निर्णय के आलोक में कहना है कि दुर्घटना में हुई मृत्यु के क्रम में मृत मनरेगा कर्मी के आश्रित को उनके मूल मानदेय की राशि की 60 गुणा राशि का भुगतान किया जाएगा । साथ ही Oriental Insurance Company Ltd. के साथ Group Accident Insurance से संबंधित एकरारनामा की अवधि की दिनांक 31.01.2013 को समाप्ति के क्रम में सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि उक्त अवधि के उपरांत ऐसे मामलों के निष्पादन की दिशा में मृत मनरेगा कर्मी के आश्रित को उनके मूल मानदेय की राशि की 60 गुणा राशि एवं नि:शक्तता की स्थिति में संलग्न सूची के अनुसार प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी के मनरेगा अंतर्गत आकस्मिकता मद में संचित राशि से किया जाएगा । इसके अतिरिक्त नई व्यवस्था अंतर्गत प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु Oriental Insurance Company Ltd. के साथ Group Accident Insurance से संबंधित एकरारनामा में उल्लिखित सभी नियम एवं शर्तों के आलोक में Claim Intimation Performa एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज मूल रूप में बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी को संबोधित एवं प्रेषित की जाएगी तथा इस आशय की सूचना संबंधित जिला द्वारा विभाग को भी उपलब्ध कराई जाएगी ।

इस दिशा में दुर्घटना घटित होने की तिथि से 90 दिनों के अंदर निम्न दस्तावेज बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है :-

कर्मी की मृत्यु की स्थिति में दावा हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

i. प्रभावित कर्मी के चिन्हित परिजन के हस्ताक्षर/अंगूठा के निशान से प्रेषित (सारे इंद्राज सहित) दावा आवेदन पत्र (Personal Accident Claim Form) ।
ii. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत Post-Mortem Report ।
iii. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र।
iv. संबंधित पुलिस थाना में दर्ज प्राथमिकी की छाया प्रति (यदि उपलब्ध हो तो) ।
v. विभागीय जॉच प्रतिवेदन (यदि उपलब्ध हो तो) ।
vi. चिकित्सक द्वारा निर्गत चिकित्सीय प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) ।

कर्मी के नि:शक्तता की स्थिति में दावा हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

i. प्रभावित कर्मी अथवा उनके निकटतम चिन्हित परिजन (आवश्यकतानुसार) के हस्ताक्षर/अंगूठा के निशान से प्रेषित (सारे इंद्राज सहित) दावा आवेदन पत्र (Personal Accident Claim Form) ।

ii. संबंधित जिला के जिला असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत चिकित्सीय प्रमाण पत्र (प्रपत्र में) ।

iii. विभागीय जॉच प्रतिवेदन (यदि उपलब्ध हो तो) ।

अनुरोध है कि इस दिशा में व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर आवश्यकतानुसार कार्रवाई करते हुए वांछित दस्तावेज बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी को एक निर्धारित समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि प्रभावित कर्मी अथवा उनके चिन्हित परिजनों को इस बीमा पॉलिसी का लाभ ससमय प्राप्त हो सके।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(मिहिर कुमार सिंह)

आयुक्त, मनरेगा ।

ज्ञापांक 145840 पटना/दिनांक 16/04/2013

प्रतिलिपि :- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार/ माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आयुक्त, मनरेगा ।